दिनांक 05.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 562/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद एटा/थाना अवागढ़

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 लाइसेंसी बन्दूक**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04/05.11.2026 को थाना अवागढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किला बाईपास रोड़ पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–नेकसे घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–बबलू 3–विपिन सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 लाइसेंसी बन्दूक, नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.10.2026 को थाना अवागढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा लाइसेंसी बन्दूक आदि चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अवागढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बन्दूक आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त नेकसे के विरूद्ध जनपद कासगंज व एटा के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त विपिन के विरूद्ध जनपद कासगंज के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अवागढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नेकसे निवासी पेसोई थाना सोरों जनपद कासगंज।

2–बबलू निवासी नगला भवानी थाना अवागढ़ जनपद एटा।

3–विपिन निवासी पेसोई थाना सोरों जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–चोरी की 01 लाइसेंसी बन्दूक।

2–नगद रूपये।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट आगरा/थाना मलपुरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 201 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ट्रैक्टर मय ट्राली बरामद**

दिनांक 04.11.2026 को थाना मलपुरा व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बरारा क्षेत्र से अभियुक्त प्रेमसिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 201 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रैक्टर मय ट्राली बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मलपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रेमसिंह निवासी ग्राम बरारा थाना मलपुरा कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 201 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–घटना में प्रयुक्त 01 ट्रैक्टर मय ट्राली।

जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्ट्सगंज

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 60 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद**

दिनांक 04.11.2026 को थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लोढ़ी स्थित टीवीएस गोदाम के पास से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्तों 1–सत्यम 2–सीबू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 60 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सत्यम निवासी ग्राम लैसना थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

2–सीबू निवासी ब्रम्हानान थाना अल्लागंज के पीछे जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 60 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 01 कार।

- **जनपद फतेहगढ़/थाना मेरापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना मेरापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बब्लू उर्फ अनिल 2–बब्लू को आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहगढ़/थाना मेरापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना मेरापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत

अभियुक्त 1–कैलाश 2–नरेशचन्द्र को आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना बिंवार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना बिंवार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मलखान को सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना संदना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना संदना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/323/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–हिमांशु 2–चंदन 3–चुन्नू लाल 4–खुदन्नू 5–कांता 6–मनोज को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 05.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 563 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पीएसी बल का आवंटन

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आगामी त्योहारों यथा धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज एवं छठ पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सकुशल सम्पन्न कराए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, श्री राजीव कृष्ण,** द्वारा प्रदेश के समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं।

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश में शांति, सुरक्षा एवं सुदृढ़ कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 34 कम्पनी 01 प्लाटून पीएसी प्रदेश के 45 विभिन्न कमिश्नरेट, जनपदों एवं जीआरपी थाना को आवंटित की गई हैं।

आवंटित पीएसी बल का उपयोग संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, पूजा पंडालों, घाटों, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ-साथ नियमित फुट पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आवंटित पीएसी बल का प्रभावी एवं आवश्यकता के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करें। स्थानीय अभिसूचना तंत्र को सक्रिय रखते हुए संवेदनशील स्थलों एवं क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए तथा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ निरंतर भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सुरक्षा एवं शांतिव्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु प्रदेश के प्रमुख - कमिश्नरेटों एवं जनपदों को आवंटित पीएसी बल का विवरण -

क्रमसं0	कमिश्नरेट/जनपद	जनशक्ति (कंपनी-प्लाटून-सेक्शन)
1	आगरा कमिश्नरेट	1 प्लाटून
2	कानपुर कमिश्नरेट	1 कम्पनी
3	लखनऊ कमिश्नरेट	2 कम्पनी
4	वाराणसी कमिश्नरेट	2 कम्पनी (01 प्लाटून फ्लड रेस्क्यू)
5	प्रयागराज कमिश्नरेट	1 कम्पनी
6	मेरठ	1 कम्पनी
7	मुजफ्फरनगर	1 कम्पनी
8	सहारनपुर	01 प्लाटून

क्रमसं0	कमिश्नरेट/जनपद	जनशक्ति (कंपनी-प्लाटून-सेक्शन)
9	बरेली	1 कम्पनी
10	मुरादाबाद	1 कम्पनी
11	अलीगढ	2 कम्पनी
12	मथुरा	01 प्लाटून (फ्लड रेस्क्यू)
13	अयोध्या	2 कम्पनी
14	गोरखपुर	1 कम्पनी (01 प्लाटून फ्लड रेस्क्यू)
15	आजमगढ़	1 कम्पनी
16	मऊ	1 कम्पनी, 02 प्लाटून
17	मीरजापुर	02 प्लाटून
18	चित्रकूट (दीपावली अमावस्या)	3 कम्पनी, 02 प्लाटून (02 प्लाटून फ्लड रेस्क्यू)

- **जनपद अयोध्या** में दीपावली के पावन पर्व पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव-2026 कार्यक्रम को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत में निम्नलिखित पुलिस बल आवंटित किया गया है—

1. अपर पुलिस अधीक्षक – 07
2. पुलिस उपाधीक्षक – 20
3. निरीक्षक – 27
4. उपनिरीक्षक – 70
5. महिला उपनिरीक्षक – 14
6. मुख्य आरक्षी/आरक्षी – 300
7. महिला आरक्षी – 25

उक्त के अतिरिक्त पीएसी, आर0ए0एफ0, ATS, NSG, SDRF की टीम तथा अन्य शाखाओं के पुलिस बल भी उपलब्ध कराया गया है।

- **जनपद चित्रकूट** में दीपावली अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत निम्नलिखित पुलिस बल आवंटित किया गया है—

1. पुलिस उपाधीक्षक – 02
2. उपनिरीक्षक यातायात – 04
3. मुख्य आरक्षी/आरक्षी यातायात – 40
4. पीएसी – 03 कंपनी 02 प्लाटून
5. बीडीएस टीम – 01
6. ए एस चेक टीम – 02
7. एसडीआरएफ – 01 टीम

दिनांक 05.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 564 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

UNICEF एवं UNDSS के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से की शिष्टाचार भेंट

आज दिनांक 05 नवम्बर, 2026 को **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)** तथा **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं संरक्षा विभाग (UNDSS)** के प्रतिनिधियों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्णा** से शिष्टाचार भेंट की।

प्रतिनिधिमंडल में डॉ. जकारिया एडम (बेनिन), प्रमुख, UNICEF उत्तर प्रदेश कार्यालय; श्री तारा प्रसाद, UNICEF; श्री एलियास लेगेसे (इथियोपिया), सुरक्षा सलाहकार, UNDSS; श्री विल्फिन विन्सेंट, UNDSS तथा सुश्री रानी कुमारी, UNDSS शामिल रहे।

डॉ. जकारिया एडम UNICEF के उत्तर प्रदेश कार्यालय के प्रमुख हैं। उन्हें UNICEF में लगभग 27 वर्षों का अनुभव है। वे उत्तर प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र के एरिया सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर (Area Security Coordinator) भी हैं। उन्होंने विभिन्न देशों में बाल संरक्षण एवं विकास से जुड़े कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं।

UNDSS के सुरक्षा सलाहकार श्री एलियास लेगेसे को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न देशों में सुरक्षा प्रबंधन, जोखिम आकलन, संकट प्रबंधन एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के क्षेत्र में व्यापक अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त है।

श्री विल्फिन विन्सेंट भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कमांडर हैं तथा UNDSS से जुड़े हैं। वे उत्तर प्रदेश के लिए फोकल प्वाइंट (Focal Point) के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2011 से 2021 तक भारतीय नौसेना में सेवाएं दी हैं।

भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों की उपस्थिति, गतिविधियों एवं कार्यक्षेत्र के संबंध में पुलिस महानिदेशक को जानकारी देकर अवगत कराया गया कि प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (United Nations Security Management System–UNSMS) के अंतर्गत लगभग 198 संयुक्त राष्ट्र कार्मिक एवं उनके पात्र आश्रित (Eligible Dependants) आते हैं।

बैठक में प्रदेश में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र के कार्मिकों, उनके पात्र आश्रितों, कार्यालय परिसरों एवं परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस एवं UNDSS के मध्य समन्वय एवं सहयोग को और सुदृढ़ बनाने पर विशेष चर्चा की गई।

इस दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया—

- **उत्तर प्रदेश पुलिस एवं UNDSS के मध्य सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का समयबद्ध आदान-प्रदान।**
- **आपातकालीन एवं संकटपूर्ण परिस्थितियों में प्रभावी समन्वय एवं त्वरित प्रतिक्रिया।**

- **संयुक्त राष्ट्र के कार्मिकों एवं प्रतिष्ठानों को आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध कराना।**
- **दोनों संस्थाओं के मध्य प्रभावी संपर्क एवं संवाद व्यवस्था विकसित करना।**

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिनिधिमंडल को प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों एवं पहलों से अवगत कराया गया।

बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न परियोजनाओं एवं गतिविधियों के संबंध में समन्वय तथा आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए पुलिस महानिरीक्षक, कानून-व्यवस्था, उत्तर प्रदेश एवं पुलिस महानिदेशक के जी.एस.ओ. को पुलिस नोडल अधिकारी (Police Nodal Persons) नामित किया गया।

पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र के कार्मिकों एवं प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से संबंधित विषयों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से हरसंभव सहयोग एवं सहायता का आश्वासन भी दिया।





दिनांक 05.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 565 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मा0 मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 28 वैज्ञानिक अधिकारियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

- **मा0 मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 28 वैज्ञानिक अधिकारियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र।**
- **फॉरेंसिक साक्ष्यों की शुद्धता, प्रमाणिकता एवं समयबद्धता को न्याय सुनिश्चित करने के लिए बताया महत्वपूर्ण।**
- **प्रदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 12 हुई, प्रत्येक जनपद में दो-दो फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध।**
- **प्रदेश में 500 के लक्ष्य के मुकाबले 600 से अधिक पुलिस अधिकारियों को दिया गया फॉरेंसिक प्रशिक्षण।**
- **पुलिस महानिदेशक ने वैज्ञानिक अधिकारियों से निष्पक्ष एवं सटीक जांच, बेहतर समन्वय और समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने की अपेक्षा की।**

आज दिनांक 05 नवम्बर 2026 को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 28 वैज्ञानिक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने नवनियुक्त वैज्ञानिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि फॉरेंसिक साक्ष्यों का संकलन पूरी शुद्धता, प्रमाणिकता एवं समयबद्धता के साथ किया जाना आवश्यक है। साक्ष्यों की विश्वसनीयता अपराधियों को सजा दिलाने तथा निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे जिस निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के आधार पर चयनित हुए हैं, उसी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद विवेचना में कमियों के कारण अपराधी न्यायिक प्रक्रिया से बच निकलते हैं। इसलिए वैज्ञानिक अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल साक्ष्य एकत्र करना ही नहीं, बल्कि उनकी प्रमाणिकता बनाए रखना तथा उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत करना भी है कि न्यायालय में वे प्रभावी रूप से स्थापित हो सकें।

उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन को अनिवार्य किया गया है। इसके दृष्टिगत प्रदेश में 500 फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों के लक्ष्य के सापेक्ष 600 से अधिक पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में फॉरेंसिक जांच की सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रत्येक जनपद में दो-दो फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई हैं तथा विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं

का विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में फॉरेंसिक साइंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक विधाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी विकसित की गई है।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण ने अपने संबोधन में कहा कि 28 नए वैज्ञानिक अधिकारियों का उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ना वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित विवेचना एवं प्रभावी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इसके अतिरिक्त तीन नई प्रयोगशालाओं का निर्माण लगभग पूर्ण है तथा तीन अन्य की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में पांच नए DNA परीक्षण अनुभाग स्थापित किए गए हैं। साथ ही, 75 जनपदों एवं पुलिस कमिश्नरेट की फील्ड यूनिट्स के लिए 75 अतिरिक्त मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई हैं।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान के माध्यम से लगभग 600 पुलिसकर्मियों को वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन का प्रशिक्षण दिया गया है। पिछले पांच वर्षों में लगभग ₹51 करोड़ के आधुनिक उपकरण खरीदे गए हैं तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में ₹75 करोड़ के उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया प्रचलित है।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि बदलते अपराध स्वरूप एवं नए आपराधिक कानूनों के दृष्टिगत वैज्ञानिक साक्ष्यों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मुरादाबाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला की DNA रिपोर्ट के आधार पर एक बालिका से संबंधित अपराध में मात्र 68 दिनों में दोषी को आजीवन कारावास की सजा तथा सहारनपुर में एक किशोरी के जले हुए अवशेषों की पहचान DNA परीक्षण के माध्यम से किए जाने के उदाहरण भी साझा किए।

उन्होंने नवनियुक्त वैज्ञानिक अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे वैज्ञानिक निष्पक्षता एवं सटीकता के साथ साक्ष्यों का परीक्षण करें, पुलिस विवेचकों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखें तथा जांच रिपोर्ट समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराएं, जिससे दोषियों को सजा दिलाने और निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में प्रभावी योगदान दिया जा सके।

इस अवसर पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद एवं अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री भगवान स्वरूप सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।




उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा
पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया से


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा
पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया से